महत्वपूर्ण

प्रेषक,

अवधेश कुमार तिवारी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक 09 दिसम्बर, 2025

विषयः शिक्षा मित्रों के स्थानान्तरण/समायोजन के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- शि0नि0(बे0)/45207-08/2025-26, दिनांक 06.11.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश दिनांक 03.01.2025 एवं दिनांक 12.06.2025 के क्रियान्वयन हेतु निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- आपके उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 06.11.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त शिक्षा मित्रों के स्थानान्तरण / समायोजन के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 03.01.2025 एवं दिनांक 12.06.2025 के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार कार्रवाई की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है:-

1- जनपदों में जितने भी शिक्षा मित्र हैं, उनसे प्रथम चरण में निम्नलिखित प्रारूप पर विकल्प / सूचना प्राप्त की जायेगी:-

क- शिक्षा मित्र का नाम	
ख- वर्तमान तैनाती के विद्यालय का नाम	
ग- क्या वे अपने वर्तमान विद्यालय में रहना चाहते हैं	हाँ/ना
घ- मूल तैनाती के विद्यालय का नाम	
ड.- क्या वे मूल तैनाती के विद्यालय में जाना चाहते हैं अथवा नहीं	हाँ/ना
च- पुरुष/महिला	
छ- विवाहित शिक्षा मित्र (महिला) के प्रकरण में क्या वे अन्य जनपद में अपने पति के घर के ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/वार्ड में स्थित परिषदीय विद्यालय में जाना चाहती हैं	हाँ/ना
ज- यदि हाँ, तो विवाहित होने का साक्ष्य-विवाह प्रमाण-पत्र/आधार कार्ड/पैन कार्ड की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाये।	

2- जिन शिक्षा मित्रों द्वारा अपनी वर्तमान तैनाती पर ही रहने का विकल्प दिया जाता है तो उनके विकल्प पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

3- जिन पुरूष अथवा अविवाहित महिला शिक्षा मित्रों द्वारा अपनी मूल तैनाती के विद्यालय में तैनाती हेतु विकल्प दिया जाता है और यदि मूल तैनाती के जनपद के विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद रिक्त हैं तो उनको अपनी मूल तैनाती के विद्यालय में तैनात किया जाये।

4- जनपद में शिक्षा मित्रों के रिक्त पद को चिन्हित करते समय शासनादेश दिनांक 03.01.2025 के प्रस्तर-2(ख) (i) एवं (ii) को ध्यान में रखा जाये।

5- जिन पुरुष अथवा अविवाहित महिला शिक्षा मित्रों के प्रकरण में उनके मूल तैनाती वाले विद्यालय में उक्त आधार पर रिक्ति नहीं होती है तो उनको मूल विद्यालय के ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/वार्ड में संचालित किसी अन्य विद्यालय में रिक्ति होने पर तैनात कर दिया जाये।

6- प्रथम चरण में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये, तत्पश्चात् जो शिक्षा मित्र

शेष रह जायेंगे, उनके प्रकरण में दूसरे चरण में कार्यवाही की जायेगी, जिसके बारे में विस्तृत निर्देश शासनादेश दिनांक 03.01.2025 के मूल सिद्धांतों के आधार पर ससमय जारी किये जायेंगे।

7- प्रथम चरण में शिक्षा मित्रों स्थानान्तरण/समायोजन की समस्त कार्यवाही शासनादेश दिनांक 03.01.2025 के प्रस्तर-2(ग) में उल्लिखित समिति द्वारा ही सम्पादित की जायेगी।

8- उपरोक्त स्थानान्तरण/समायोजन हेतु पोर्टल की आवश्यकता फिलहाल न होने पर उसका उपयोग नही किया जायेगा।

3- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त निर्देशानुसार शिक्षामित्रों के स्थानान्तरण/समायोजन के संबंध में अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई अविलम्ब सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by AVADHESH KUMAR TIWARI
Date: 08-12-2025 21:04:54

(अवधेश कुमार तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आज्ञा से,
ह0/-
(वेद प्रकाश राय)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह,
उप सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा,
उ0प्र0 लखनऊ ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 12 जून, 2025

विषयः शिक्षामित्रों के स्थानान्तरण/समायोजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-शि0मि0/शासनादेश प्रस्ताव/1066/2025-26, दिनांक 14.05.2025 एवं पत्र संख्या-शि0मि0/शासनादेश प्रस्ताव/1641/2025-26, दिनांक 05.06.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शिक्षामित्रों के स्थानान्तरण/समायोजन के संबंध में निर्गत शासनादेश दिनांक 03.01.2025 के क्रियान्वयन हेतु प्रथम चरण में प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों का उनके मूल विद्यालय में स्थानान्तरण/समायोजन हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है ।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शिक्षामित्रों के स्थानान्तरण/ समायोजन के संबंध में निर्गत शासनादेश दिनांक 03.01.2025 के कियान्वयन हेतु प्रथम चरण में प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों का उनके मूल विद्यालय में स्थानान्तरण/समायोजन कराये जाने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। कृपया उक्त के क्रम में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
ANAND KUMAR SINGH
Date: 11-06-2025
12:49:05
(आनन्द कुमार सिंह)
उप सचिव।

<u>महत्वपूर्ण</u>

प्रेषक,

डा0 एम0 के0 शन्मुगा सुन्दरम्,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
स्कूल शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 03 जनवरी, 2025

विषय:- शिक्षामित्रों के स्थानान्तरण/समायोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-गु०वि०/शि०मि०/शासनादेश प्रस्ताव/6639/2024-25 दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शिक्षामित्रों के स्थानान्तरण/समायोजन के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त शिक्षामित्रों के स्थानान्तरण/समायोजन के सम्बन्ध में निम्नवत नीति निर्धारित की जाती है:-

(क) <u>शिक्षामित्रों के स्थानान्तरण/समायोजन के सम्बन्ध में-</u>

शिक्षामित्रों के स्थानान्तरण/समायोजन के सम्बन्ध में निम्नलिखित श्रेणी के शिक्षामित्रों को सम्मिलित किया जायेगाः-

1- पुरूष शिक्षामित्र/अविवाहित महिला शिक्षामित्रों को अपने वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने अथवा मूल विद्यालय अथवा मूल विद्यालय में पद रिक्त न होने की स्थिति में ग्रामसभा/ग्राम पंचायत/वार्ड में संचालित विद्यालय में रिक्त शिक्षामित्र पद के प्रति पदास्थापित किये जाने के सम्बन्ध में उनके द्वारा विकल्प दिया जा सकेगा।

2- विवाहित महिला शिक्षामित्रों को अपने वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने अथवा मूल विद्यालय अथवा उसी या अन्य जनपद में पति के घर (पति के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर) की ग्रामसभा/ग्राम पंचायत/वार्ड में स्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में रिक्त शिक्षामित्र पद के प्रति पदास्थापित किये जाने का विकल्प दिया सकेगा।

3- जिन शिक्षामित्रों के द्वारा अपने कार्यरत विद्यालय में ही पदस्थापित किये जाने का ही (01) विकल्प दिया जाता है, तो ऐसे आवेदन पत्रों पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी।

4- बिन्दु संख्या 03 के अतिरिक्त स्थानान्तरण/समायोजन के प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर ही जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा निर्धारित भारांक एवं रिक्ति के सापेक्ष शिक्षामित्र पद पर शिक्षामित्रों के स्थानान्तरण/समायोजन की कार्यवाही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0), लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर/पोर्टल से ऑनलाईन प्रणाली द्वारा जनपद स्तर पर जायेगी।

(ख) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी के दायित्व-

i. मानव संपदा पोर्टल के डाटा के आधार पर ऐसे परिषदीय प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5 तक) /कम्पोजिट विद्यालय (कक्षा 1 से 8 तक) जहां शिक्षामित्र कार्यरत न हो, उनमें शिक्षामित्र की 02 रिक्तियां चिन्हित की जायेंगी एवं जहां 01 शिक्षामित्र कार्यरत हों वहां पर 01 शिक्षामित्र की रिक्ति चिन्हित की जायेगी।

ii. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों वाले उल्लिखित जिलो में उन विद्यालयों में जहां एक भी शिक्षामित्र कार्यरत नहीं है, वहां पर शिक्षामित्रों की 03 रिक्तियां चिन्हित की जायेगी, जहां पर 01 शिक्षामित्र कार्यरत हैं, वहां पर 02 रिक्तियां चिन्हित की जायेगी। जहां पर 02 शिक्षामित्र कार्यरत हैं, वहां पर 01 रिक्ति चिन्हित की जायेगी।

23 August 2006 GO

iii. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने जनपद में परिषदीय विद्यालय/कम्पोजिट विद्यालय में कार्यरत व पंजीकृत समस्त शिक्षामित्रों का सेवा इतिहास एवं समस्त विवरण (प्रथम तैनाती वाले मूल विद्यालय से सम्बन्धित विवरण अद्यतन कराते हुए उनके प्रथम तैनाती से लेकर अद्यतन कार्यरत विद्यालय तक समस्त विवरण जैसे-कार्यमुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण आदेश का तिथि सहित विवरण) मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से फीड/अद्यतन कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

iv. ऐसे शिक्षामित्र जो वर्तमान में विभिन्न कारणों यथा-त्यागपत्र, संविदा समाप्ति, मृत्यु इत्यादि कारणों से कार्यरत नहीं है, उनके सम्बन्ध में मानव संपदा पोर्टल पर सेवा इतिहास के सेक्शन में यथास्थान उचित अंकन खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

v. समस्त शिक्षामित्रों द्वारा अपनी लॉगिन आई०डी० से मानव संपदा पोर्टल से अपना डाटा डाउनलोड कर, उसके त्रुटिरहित होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराया जायेगा।

vi. खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षामित्रों से संशोधन के सम्बन्ध में प्राप्त अनुरोध पत्रों का परीक्षणोपरान्त यथावश्यक मानव संपदा पोर्टल पर संशोधन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

(ग) समिति-

शिक्षामित्रों का जनपद के भीतर ही मूल विद्यालय में वापस तैनाती एवं विवाहित महिला शिक्षा मित्रों द्वारा अन्य जनपद हेतु उनके द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर जनपद के भीतर रिक्त शिक्षामित्र पद के सापेक्ष तैनाती की कार्यवाही के लिए जनपद स्तर पर निम्नवत् समिति गठित की जायेगी:-

1-	जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति	अध्यक्ष
2-	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3-	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
4-	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव
5-	सहायक वित एवं लेखाधिकारी (समग्र शिक्षा, जिला परियोजना कार्यालय)	सदस्य

(घ) प्राप्त आवेदन पत्रों के अधिभार निर्धारण के मानक/निर्देशः-

शिक्षामित्रों के स्थानान्तरण/समायोजन के सम्बन्ध में यदि 01 पद के प्रति 01 से अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो उस स्थिति में विद्यालय आवंटन हेतु भारांक का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा:-

क्र0सं0	मानक	अधिकतम भारांक
1-	प्रत्येक पूर्ण संविदा वर्ष के लिए 01 अंक	20
2-	असाध्य या गम्भीर रोग से ग्रसित शिक्षामित्र (स्वयं/पति या पत्नी/अविवाहित पुत्र/पुत्री)	10
3-	दिव्यांग शिक्षामित्र (स्वयं/पति या पत्नी/अविवाहित पुत्र/पुत्री)	10
4-	ऐसे शिक्षामित्र जिनके पति या पत्नी सरकारी सेवा (भारत सरकार/भारतीय थल सेना/भारतीय वायु सेना/ भारतीय नौसेना/केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल एवं उत्तर प्रदेश सरकार व उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के अधीन) में कार्यरत।	10
5-	एकल अभिभावक (पुत्र/पुत्रियों का अकेले पालन करने वाले शिक्षामित्र)	10

नोट- भारांक निर्धारण के बिन्दु संख्या के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-365/2016/3124/पांच-6-2016-19 जी/16 दिनांक- 27 दिसम्बर, 2016 के परिशिष्ट-च में वर्णित व्यवस्थानुसार ही भारांक लाभ देय होगा।

(च) शिक्षामित्रों के स्थानान्तरण/समायोजन की प्रक्रिया-

i. मानव संपदा पोर्टल के डाटा के आधार पर प्रथम तैनाती के परिषदीय (मूल) प्राथमिक विद्यालय से इतर विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों की उनके मूल विद्यालय के साथ जनपदवार सूची निर्दिष्ट पोर्टल पर एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर अवलोकनार्थ प्रकाशित की जायेगी।

ii. जनपदीय समिति द्वारा मूल विद्यालय में तैनाती के सम्बन्ध में प्राप्त विभिन्न आपत्तियों/त्रुटियों का निस्तारण करते हुए पुनः पोर्टल पर शिक्षामित्रों की उनके विद्यालय में तैनाती के सम्बन्ध में जनपदवार सूची का प्रकाशन किया जायेगा।

iii. उपरोक्त जनपदवार सूची का सत्यापन जनपदीय समिति से कराया जायेगा।

iv. एक ही विद्यालय के लिए 01 से अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं संलग्न प्रमाण पत्रों का गहनता से परीक्षण किया जायेगा एवं अधिकतम भारांक प्राप्त करने वाले आवेदक को प्रथम नवीन विद्यालय आवंटन में प्रथम वरीयता में रखा जायेगा।

v. यदि 02 या 02 से अधिक शिक्षामित्र के भारांक समान होते हैं, तो उम्र में वरिष्ठतम शिक्षामित्र को नवीन विद्यालय आवंटन में वरीयता प्रदान की जायेगी।

vi. एन०आई०सी० द्वारा अन्तिम रूप से प्रकाशित सूची के अनुसार समस्त शिक्षामित्रों को उनके आवंटित प्राथमिक विद्यालय हेतु जनपदीय समिति से अनुमोदन प्राप्त कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा तैनाती का आदेश निर्गत किया जायेगा।

(छ) ऑनलाईन आवेदन के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश-

i. आवेदन पत्र निर्धारित प्रकियानुसार त्रुटिरहित भरने की जिम्मेदारी सम्बन्धित शिक्षामित्र की होगी। त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

ii. पुरूष शिक्षामित्र/अविवाहित शिक्षामित्रों से अपने वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने अथवा मूल विद्यालय अथवा मूल विद्यालय में पद रिक्ति न होने की स्थिति में ग्रामसभा/ग्राम पंचायत/वार्ड संचालित विद्यालय में

रिक्त शिक्षामित्र पद के प्रति एवं विवाहित महिला शिक्षामित्रों को उक्त विकल्पों के साथ उसी अथवा अन्य जनपद में पति के घर (पति के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर) की ग्रामसभा/ग्राम पंचायत/वार्ड रिक्त शिक्षामित्र पद के प्रति पदस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित विवरण/भारांक से सम्बन्धित प्रमाणित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ अपलोड किये जायेंगे। उदाहरण के लिए दिव्यांगता/असाध्य रोग के आधार पर किये गये आवेदन साथ एम्स/पी०जी०आई० अथवा सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय हेतु निर्गत प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।

iii. समायोजन हेतु इच्छुक शिक्षामित्र द्वारा निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात सम्बन्धित शिक्षामित्र द्वारा उसकी प्रति डाउनलोड की जायेगी एवं प्रधानाध्यापक से आवेदन पत्र को सत्यापित कराकर डाउनलोड किया हुआ आवेदनपत्र (समस्त संलग्नकों सहित) खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दो प्रतियों में जमा किया जायेगा, जिसकी प्राप्ति रसीद खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा शिक्षामित्र को दी जायेगी। खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र एवं भारांक से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित अपनी लॉगिन आईडी से आवेदन पत्र अग्रसारित करते हुए आवेदन पत्र की एक प्रति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

iv. खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रसारित शिक्षामित्रों के ऑनलाईन आवेदन को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षणोपरान्त अर्ह आवेदन पत्रों को स्पष्ट संस्तुति सहित अपनी लॉगिन आईडी से अग्रसारित किया जायेगा।

v. नवीन विद्यालय में तैनाती हेतु जनपदीय समिति द्वारा अनर्ह/निरस्त किये आवेदन पत्रों का कारण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा तथा अर्ह एवं अनर्ह आवेदन पत्रों की सूची की एक प्रति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सूचना पट पर भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा चस्पा की जायेगी।

vi. जनपद द्वारा अग्रसारित ऑनलाईन आवेदन पत्रों को एन०आई०सी० द्वारा पोर्टल के माध्यम से शासनादेश के अनुसार शिक्षामित्रों को विद्यालय आवंटन की सूची तैयार कर जनपद को प्रेषित की जायेगी।

vii. नवीन विद्यालय में तैनाती हेतु आदेश निर्गत होने के तीन कार्यदिवस के अन्दर सम्बन्धित शिक्षामित्र को सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित शिक्षामित्र को नवीन विद्यालय में तत्काल कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शिक्षा मित्रों के स्थानान्तरण/समायोजन हेतु एक विस्तृत समय सारणी तैयार कर उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
Shanmuga Sundaram
Date: 03-01-2025 17:27:24

(डा0 एम0 के0 शन्मुगा सुन्दरम)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

Signed by
Anand Kumar Singh
Date: 03-01-2025 17:46:02

(आनन्द कुमार सिंह)
उप सचिव।

(43)

संख्या : 2118 /79-5-2006-283/98

प्रेषक,

जे0एस0दीपक
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. राज्य परियोजना निदेशक,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद।
निशातगंज,लखनऊ

2. शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उ0प्र0, निशातगंज,लखनऊ

शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक: 23 अगस्त 2006

विषय: नक्सल प्रभावित प्रदेश के 8 जनपदों क्रमशः चन्दौली,गाजीपुर,मिर्जापुर, सोनभद्र,मऊ,बलिया,देवरिया,कुशीनगर के नक्सल प्रभावित ग्रामों में दो शिक्षा मित्रों के स्थान पर तीन शिक्षा मित्रों को तैनात किये जाने के संबध में।

महोदय,

शिक्षा मित्र योजना के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों, मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों तथा समय–समय पर शिक्षा मित्र संघो द्वारा विभिन्न मांग पत्रों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या 4009/79–5–2005–282/98, दिनांक 10 अक्टूबर 2005 द्वारा कतिपय संशोधन किये गये थे।

2– उक्त के संबंध में राज्य परियोजना निदेशक द्वारा यह सूचित किया गया है कि प्रदेश के 08 जनपदों चन्दौली,गाजीपुर,मिर्जापुर,सोनभद्र,मऊ,बलिया,देवरिया,कुशीनगर में नक्सल प्रभावित ग्रामों की संख्या 680 है। जिनमें से 674 ग्राम प्राथमिक विद्यालयों से संतृप्त है। अवशेष 6 ग्राम 2006–07 में संतृप्त किये जा रहे है। उक्त संदर्भित शासनादेश के अनुसार एक विद्यालय में दो से अधिक शिक्षा मित्र नहीं रखे जा सकते है। किन्तु स्थानीय होने के कारण शिक्षा मित्रों के माध्यम से नक्सल प्रभावित विद्यालयों में शिक्षण कार्य सुव्यवस्थित रूप से संचालित किया जा सकता है। अतः इन नक्सल प्रभावित ग्रामों में 02 के स्थान पर यदि 03 शिक्षा मित्रों के रखे जाने का प्राविधान अनुमन्य कर दिया जाए तो इससे शिक्षा की स्थिति में सुधार की सम्भावना है।

3– राज्य परियोजना निदेशक किये गये उक्त प्रस्ताव के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त नक्सल प्रभावित प्रदेश के 8 जनपदों क्रमशः चन्दौली,गाजीपुर,मिर्जापुर, सोनभद्र,मऊ,बलिया,देवरिया,कुशीनगर में स्थानीय परिस्थितियों एवं नक्सल प्रभावित ग्रामों के विद्यालयों में शिक्षण कार्य को सुव्यवस्थित रूप से संचालित किये जाने हेतु 02 के स्थान पर 03 शिक्षा मित्रों को रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया तदनुसार शिक्षा मित्र योजना के कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही

करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

2/3/11

(जे0एस0दीपक)
सचिव।

संख्या: 218 (1)/79-5-2006 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संबधित मण्डलों के मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
2. राज्य परियोजना निदेशक,उ0प्र0सभी के लिए परियोजना परिषद,लखनऊ।
3. सचिव,पंचायत राज विभाग,उ0प्र0शासन।
4. जिलाधिकारी, चन्दौली,गाजीपुर,मिर्ज़ापुर, सोनभद्र,मऊ,बलिया,देवरिया,कुशीनगर, उ0प्र0
5. शिक्षा निदेशक (बेसिक) निशातगंज,लखनऊ।
6. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद,उ0प्र0,इलाहाबाद।
7. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0।
8. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
9. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से

(कामरान रिजवी)
विशेष सचिव।